अधिसूचना सं0 11/2014-सीमाशुल्क नई दिल्ली, तारीख 11 जुलाई, 2014.

सा.का.नि. (अ) -- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2005 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, सं. सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(क) क्रम सं0 13 के सामने स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"निम्नलिखित के सिवाय सभी माल--

(i) साफ्ट स्विच और वाइस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकाल उपस्कर (वी.ओ.आई.पी.) अर्थात् वाइस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकाल फोन, मीडिया गेटवे, गेटवे कंट्रोलर और सैशन बार्डर कंट्रोलर ;

(ii) प्रकाशीय परिवहन उपस्कर, पैकेट प्रकाशीय परिवहन उत्पाद या स्विच (पै.प्र.प.उ. या पै.प्र.प.स्वि.) के एक या अधिक संयोजन, प्रकाशीय परिवहन नेटवर्क (प्र.प.ने.) उत्पाद, और आईपी रेडियो ;

(iii) कैरियर ईथरनेट स्विच, पैकेट परिवहन नोड (पै.प.नो.) उत्पाद, बहुप्रोटोकाल लेबल स्विचिंग - परिवहन प्रोफाइल (ब.ले.स्वि.प.प्रो.) उत्पाद ;

(iv) बहुल निवेश/बहुल निर्गम (ब.नि.ब.नि.) और लंबी अवधि विकास (ल.अ.वि.) उत्पाद" ।

(ख) क्रम सं0 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"40.	सभी अध्याय	निम्नलिखित मालों के विनिर्माण के लिए सभी माल,

		अर्थात्:- (i) साफ्ट स्विच और वाइस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकाल उपस्कर (वी.ओ.आई.पी.) अर्थात् वाइस ओवर इन्टरनेट प्रोटोकाल फोन, मीडिया गेटवे, गेटवे कंट्रोलर और सैशन बार्डर कंट्रोलर ; (ii) प्रकाशीय परिवहन उपस्कर, पैकेट प्रकाशीय परिवहन उत्पाद या स्विच (पै.प्र.प.उ. या पै.प्र.प.स्वि.) के एक या अधिक संयोजन, प्रकाशीय परिवहन नेटवर्क (प्र.प.ने.) उत्पाद, और आईपी रेडियो ; (iii) कैरियर ईथरनेट स्विच, पैकेट परिवहन नोड (पै.प.नो.) उत्पाद, बहुप्रोटोकाल लेबल स्विचिंग - परिवहन प्रोफाइल (ब.ले.स्वि.प.प्रो.) उत्पाद ; (iv) बहुल निवेश/बहुल निर्गम (ब.नि.ब.नि.) और लंबी अवधि विकास (ल.अ.वि.) उत्पाद : परन्तु आयातकर्ता सीमाशुल्क (उत्पाद-शुल्क्य मालों के विनिर्माण के लिए रियायती दर पर मालों का आयात) नियम, 1996 में उपवर्णित प्रक्रिया का पालन करता है ।"।

[फा.सं0 334/15/2014-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 122(अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 132/2006-सीमाशुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा, सं. सा.का.नि. 793(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2006 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।